HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 16071/2026
CNR: RJHC020955302026 | URN: CRLMB / 29782U / 2026

Ramavtar Saini S/o Late Moolchand Saini, Aged About 28 Years, R/o Kesrisinghpura P.s. Baswa District Dausa Rajasthan. (Accused Petitioner Presently Confined In District Jail Jhalawar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Bhuvnesh Kumar Goyal, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Rajesh Choudhary, GA CUM AAG. Mr. Vijay Singh Yadav, P.P. Mr. Khemaram Bijarniya, IO, Dy. SP. SOG, Jaipur.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

28/10/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र बी एन एस एस की धारा **483** के अन्तर्गत पुलिस थाना **सायबर झालावाड** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**10/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 316(2), 316(5), 318(4), 319(2), 336(3), 61(2), 111(2)(बी), 111(4) बी एन एस व धारा 66(सी), 66(डी) आई टी एक्ट में पेश किया गया है।

Digitally signed by
MURARI LAL
SHARMA
Date: 2026.10.31
09:58:43 IST

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि अभियुक्त निर्दोष है, दिनांक **23.10.2025** से अभिरक्षा में है, प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है, अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन दिनांक **21.08.2026** को वापिस लिए जाने के आधार पर खारिज हुआ था, अभियुक्त का कोई पूर्ववर्ती आपराधिक रिकोर्ड नहीं है, ऐसी स्थिति में उसके विरूद्ध धारा 111 बी एन एस का अपराध नहीं बनता है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक का निवेदन है कि मामला धारा 111 बी एन एस का प्रथम दृष्टया प्रमाणित मानते हुए प्रकरण को सेशन न्यायालय में उपार्पित किया गया है तथा आरोप के बिन्दु पर सुनवाई होना शेष है, अभियुक्त इस पूरे अपराध का मुख्य सरगना है, उसके खातों में लाखों रूपयों की राशि जमा हुई है, कुछ अभियुक्तगण के विरूद्ध अभी भी अनुसंधान लंबित है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अनुसंधान व विचारण विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है। अंत में अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के तर्को के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा अनुसंधान के उपरांत प्रस्तुत आरोप पत्र के अनुसार यह आरोप है कि संबंधित तहसील के राज्य

कर्मचारियों द्वारा अन्य निजी अभियुक्तगण के साथ षडयंत्र रचते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पालनहार योजना, वृद्धजन पेंशन योजना, दिव्यांगजन पेंशन योजना व अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए अपात्र व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु दुष्प्रेरित कर लोक सेवकों के माध्यम से ओटीपी व आईडी प्राप्त कर आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर अनाधिकृत रूप से डाटा प्राप्त करते हुए तथा अनाधिकृत वैबसाईट तैयार कराकर अपात्र व्यक्तियों के डाटा को जोडकर उनके खातों में अलग अलग समय पर अलग अलग राशि अंतरित करवाकर करोडों रूपयों का नुकसान पहुंचाया जिससे लोक कल्याणकारी योजनाएं विपरीत रूप से प्रभावित हुई तथा पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित रहे हैं।

जहां तक धारा 111 बी एन एस के आरोप का प्रश्न है, अभी तक विचारण न्यायालय में आरोप के बिन्दु पर कोई आदेश पारित नहीं हुआ है, लेकिन अभियुक्त का कोई पूर्ववर्ती आपराधिक रिकोर्ड भी प्रकट नहीं हुआ है, इसके बावजूद वर्तमान अभियुक्त पर यह आरोप है कि वह इस घपलेबाजी का मुख्य सरगना है तथा उसके द्वारा अपने अन्य साथी अभियुक्तगण से अपात्र व्यक्तियों के अनुचित रूप से डाटा प्राप्त किये। यह भी आरोप है कि उसके मोबाईल नंबर की यूपीआई गेट–वे से कुल 14 बैंक खाते लिंक होना पाया गया, जिनका विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि सह अभियुक्त अर्थात अपात्र व्यक्ति जिनको अनुचित लाभ पहुंचाया गया है, उनके द्वारा अलग अलग समय पर अभियुक्त रामावतार सैनी के उपरोक्त बैंक खातों में कमिशन के रूप में राशि प्राप्त की गयी। अभियुक्त द्वारा 14 बैंक खाते अपने नाम से संचालित किया जाना

अपने आप में उसकी आपराधिक योजना व मनोदशा को दर्शित करता है।

यह बात सही है कि इस मामले में काफी अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा दी जा चुकी है, लेकिन उनका मामला वर्तमान अभियुक्त से भिन्न व कमतर था। यद्यपि अभियुक्त की एक वर्ष की अभिरक्षा की अवधि हो चुकी है, परंतु जिस प्रकार के आरोप अभियुक्त पर है और उसके परिणामस्वरूप करीब 15–20 करोड रूपयों का राजकोष को नुकसान हुआ है। अभियुक्त के विरूद्ध योजनाबद्ध तरीके से अन्य अभियुक्तगण का सहयोग लेकर यह अपराध कारित करने का आरोप है, पुलिस अनुसंधान में भी उसे इस घटना का मुख्य सूत्रधार माना गया है।

प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति तथा प्रस्तुत किये गये तर्कों, अपराध की गंभीरता, अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका आदि को देखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त रामावतार सैनी पुत्र स्व. मूलचंद सैनी की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यदि छह माह में प्रकरण के विचारण में कोई सारवान प्रगति नहीं होती है तो अभियुक्त नये सिरे से जमानत आवेदन पेश करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(UMA SHANKER VYAS),J

121/Murari Lal Sharma